

अपील / 16 / 2019

साहबसिंह पुत्र स्व० श्री जगन जाति मीना निवासी माढौनी तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

- |  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| 1-तेजसिंह । पुत्रान स्व० जगन           | } | जाति मीना निवासी माढौनी |
| 2-कपूरचन्द ।                           |   | तहसील व जिला भरतपुर     |
| 3-सूरजमुखी पत्नी स्व० जगन              |   |                         |
| 4-विमलेश पुत्री स्व० जगन               |   |                         |
| 5-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर |   |                         |
| 6-नायव तहसीलदार भरतपुर                 |   |                         |

.....रेस्पो०

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 2042 दिनांक 5.9.2017 न्यायालय नायव तहसीलदार भरतपुर बाबत बाके ग्राम माढौनी तहसील व जिला भरतपुर

उपस्थित :-

- 1-श्री प्रमोद उपमन , अभिभाषक अपीलान्ट,
- 2-श्री गोविन्द सिंह डांगुर अभिभाषक रेस्पो०
- 3-पैरोकार सरकार रेस्पो 5,6

निर्णय

दिनांक 03.07.2024

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो० व खिलाफ आदेश दिनांक 05-09-2017 नायव तहसीलदार भरतपुर पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 2042 मृतक जगन की विरासत का दर्ज किया जाकर अपीलान्ट एवं रेस्पो. के हक में स्वीकार किया गया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तहत पत्रावली तलब की गई एवं रेस्पो की तलबी की गई। तहत पत्रावली नामान्तकरण संख्या 2042 की सत्यप्रतिलिपि शामिल मिसिल की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

.....2

जिला कलक्टर  
भरतपुर

योग्य अभिभाषक अपीलान्त ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि मृतक जगन पुत्र चन्दर जाति मीना निवासी मढौनी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार था जो कि जाति से मीना है। जगन की मृत्यु के बाद अपीलाधीन नामान्तकरण उसके वारिसान जिसमें उसके पुत्र व विधवा व पुत्री को विरासत हिस्सा स्वीकृत किया गया है जो विधि विरुद्ध है। योग्य अभिभाषक अपीलान्त का कहना है कि मृतक जाति से मीना है और मीना जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार लागू नहीं होता है अर्थात् मीना जाति में मृतक की विधवा व पुत्री का कोई अधिकार नहीं होता है, नायव तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया नामान्तकरण नियमों के विपरीत होने से काबिल खारिज के रहता है। दोराने बहस अपीलान्त अभिभाषक ने फार्म नं. 3 के साथ प्रस्तुत नकल आदेश न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर अपील संख्या 107/2017 साहबसिंह बनाम तेजसिंह वगैरे निर्णय दिनांक 20.3.2024 पेश किया तथा बताया कि जगन की विवादित आराजी की विरासत में मृतक की पुत्री विमलेश का नाम पृथक किये जाने की डिक्री पारित की है। उक्त निर्णय के आधार पर अपील अपीलान्त स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तकरण में से पुत्री रेस्पो संख्या 4 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की है।


योग्य अभिभाषक रेस्पो ने जाहिर किया कि अपीलान्त ने जो रिलीफ विचाराधीन अपील में चाही गई है वह अपीलान्त को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर से जरिये डिक्री मिल चुकी है। अपीलान्त को चाहिये कि वह उक्त निर्णय डिक्री की ईजराय कराकर रिलीफ प्राप्त करे, नामान्तकरण एक फिसकल प्रोसिडिंग है, योग्य अभिभाषक का तर्क है जब अपीलान्त को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी से रिलीफ मिली चुकी है तो फिसकल प्रोसिडिंग में रिलीफ की कोई जरूरत नहीं है। योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. पेज 559 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, और अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया, प्रस्तुत रुलिंग का अध्ययन किया। आर.बी.जे. 2011 पेज 559 जो इस प्रकार है -

"-----Rajasthan land Revenue Act. 1956 Section- When regular revenue suit is pending regardig disputed land in which rights of the parties will be decided then proceedings regarding attestation of mutation of disputed land should be kept pending till decision of the suit....."

प्रस्तुत अपील में अपीलान्त ने अपीलाधीन नामान्तकरण मृतक जगन मीना की विरासत में हक हकूक को लेकर मृतक की पुत्री का नाम हटाये जाने की प्रार्थना की गई है, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर अपील संख्या 107/2017

.....2

  
जिला कलक्टर  
भरतपुर

(3)


अपील / 16 / 2019  
साहबसिंह बनाम तेजसिंह वगैरे

साहबसिंह बनाम तेजसिंह वगैरे निर्णय दिनांक 20.3.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है अपीलान्त द्वारा चाही गई रिलीफ जरिये दावा/अपील मिल चुकी है, ऐसी स्थिति में फिसकल प्रोसिडिंग नामान्तकरण मे उसी रिलीफ को दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है क्यों कि नामान्तकरण कार्यवाही फिसकल प्रोसिडिंग है। जब अपीलान्त द्वारा चाही गई रिलीफ मृतक जगन मीना की विरासत के हक हकूक जरिये दावा/अपील में तय हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में अब अपीलाधीन नामान्तकरण फिसकिल प्रोसिडिंग की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अस्तु अपील अपीलान्त काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्त खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03-07-2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

  
(डॉ. अमित यादव)  
जिला कलक्टर,  
भरतपुर

